पत्रांक–04 / सड़क–01–26 / 2026 102 / न०वि०एवंआ०वि० 246

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक– 14/07/26

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2026–27 में नगर परिषद्, साहेबगंज क्षेत्रान्तर्गत नाला निर्माण कार्य हेतु अवशेष कुल राशि ₹19.23159 लाख (उनीस लाख तेईस हजार एक सौ उनसठ रूपये) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।**

आदेशः **स्वीकृत।**

वित्तीय वर्ष 2018–19 में नगर परिषद्, साहेबगंज क्षेत्रान्तर्गत वार्ड संख्या–01 में सुखनर मठ से इमाम बड़ा होते हुए बाया नदी तक नाला निर्माण कार्य हेतु विभागीय राज्यादेश संख्या–63 दिनांक–27.09.2018 द्वारा कुल राशि ₹49.05200 लाख (उनचास लाख पाँच हजार दो सौ रूपये) मात्र पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुये तत्काल ₹24.52600 लाख (चौबीस लाख बावन हजार छह सौ रूपये) मात्र आवंटित किया गया है। उक्त योजना हेतु कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, साहेबगंज का पत्रांक–301 दिनांक–24.03.2026 द्वारा अवशेष राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

2. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, साहेबगंज द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में निम्न तालिका के स्तम्भ–3 में वर्णित योजना के लिए स्तंभ–5 में अंकित एकरारनामा राशि के अनुरूप स्तम्भ–7 में अंकित राशि ₹19.23159 लाख (उनीस लाख तेईस हजार एक सौ उनसठ रूपये) मात्र वित्तीय वर्ष, 2026–27 में सहायक अनुदान के रूप में व्यय की स्वीकृति निम्नवत प्रदान की जाती है :–

(राशि लाख में)

क्र०सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	एकरारनामा की राशि	पूर्व में आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	नगर परिषद्, साहेबगंज	नगर परिषद्, साहेबगंज क्षेत्रान्तर्गत वार्ड संख्या–01 में सुखनर मठ से इमाम बड़ा होते हुए बाया नदी तक नाला निर्माण कार्य।	49.05200	43.75759	24.52600	19.23159

अर्थात् ₹19.23159 लाख (उनीस लाख तेईस हजार एक सौ उनसठ रूपये) मात्र।

3. उक्त स्वीकृत राशि ₹19.23159 लाख (उनीस लाख तेईस हजार एक सौ उनसठ रूपये) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होगें, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 में वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561, दिनांक–17.04.98, पत्रांक–236, दिनांक–09.03.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। ***अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास***

एवं आवास विभाग द्वारा राशि नगर परिषद्, साहेबगंज के PL खाता सं०–MUZPLA014, HoA संख्या–00-8448-00-102-0002-00-01 में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि ₹19.23159 लाख (उनीस लाख तेईस हजार एक सौ उनसठ रूपये) मात्र की निकासी माँग संख्या– 48, मुख्य शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष–0102–परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड–48-2217037890102, विषय शीर्ष–0102.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण से की जायेगी।

5. बिहार कोषागार सहित के नियम– 286 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 46 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496/वि(2), दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक–61, दिनांक–11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र BTC-42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी।

6. वित्त विभाग के संकल्प सं०–573, दिनांक–16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक–19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271 के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं अंकेक्षित लेखा स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

7. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.2007 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

8. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–04/सड़क–01–26/2026 के पृष्ठ सं०–53/टि० पर दिनांक–12.06.2026 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–55/टि० पर दिनांक–03.07.2026 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–04/सड़क–01–26/2026 102 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–14/07/26

प्रतिलिपिः– संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, साहेबगंज/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, साहेबगंज/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/अवर सचिव–सह–व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02, 04 एवं 06 नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।